

दिनांक-17.09.2026 को सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में बिहार के लखीसराय जिले के उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद एवं जिला पंचायत राज पदाधिकारी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित बैठक की कार्यवाही।

1. बैठक में उपस्थित पदाधिकारियों की सूची निम्नवत् है:-

- श्री नवीन कुमार सिंह, निदेशक
- श्री नजर हुसैन, विशेष सचिव
- श्री आदित्य प्रकाश, अपर सचिव
- मो० वसीम अहमद, अपर सचिव
- श्री शम्स जावेद अंसारी, संयुक्त सचिव
- श्रीमती राज ऐश्वर्या श्री, उप सचिव

2. सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना द्वारा सर्वप्रथम बैठक में सम्मिलित सभी पदाधिकारियों का स्वागत कर बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी।

3. विभाग द्वारा क्रियान्वित की जा रही विभिन्न कार्यों की समीक्षा के क्रम में निम्नांकित निदेश दिये गये:-

I. Audit:-

समीक्षा के क्रम में पाया गया कि लखीसराय जिले द्वारा कुल 17 योजनाओं में से 07 का ऑडिट रिपोर्ट Hard Copy में विभाग को उपलब्ध कराया गया है। निदेश दिया गया कि एक सप्ताह के भीतर सभी योजनाओं का ऑडिट रिपोर्ट Hard Copy में विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

लोक लेखा समिति की वर्ष 2014-15 की 05 एवं 2018-19 की 02 कंडिका लंबित है। निदेश दिया गया कि लंबित कंडिकाओं का अनुपालन प्रतिवेदन दो दिनों के अंदर विभाग को भेजना सुनिश्चित करें।

(अनुपालन:- उप विकास आयुक्त, जिला पंचायत राज पदाधिकारी एवं सभी प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी)

II. लंबित उपयोगिता प्रमाण-पत्र की अद्यतन स्थिति तथा अनुपालन :-

(क) समीक्षा के क्रम में पाया गया कि Pre CFMS Period में प्रतिनिधि भत्ता, पंचम राज्य वित्त आयोग, ग्राम कचहरी न्यायमित्र/सचिव के मानेदय एवं किराया उपस्कर एवं चतुर्थ राज्य वित्त आयोग से संबंधित सर्वाधिक UC लंबित है। इस पर अप्रसन्नता व्यक्त की गयी तथा DDC एवं DPRO को निदेश दिया गया कि अपने जिले में कैम्प आयोजित कर त्वरित गति से Pre CFMS का UC समायोजन हेतु आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

(ख) Post CFMS Period में कुल 106.98 करोड़ रुपये की UC लंबित है, जिसमें से षष्ठम राज्य वित्त आयोग, 15वाँ वित्त आयोग, पंचायत सरकार भवन, प्रतिनिधि भत्ता एवं मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाईट/मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल अनुरक्षण

कृ०पृ०उ०

नीति की UC सर्वाधीक लंबित है। ACEO, जिला परिषद द्वारा बताया गया कि पंचायत सरकार भवन एवं मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाईट/मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल अनुरक्षण नीति की राशि Auto Surrender हो गया है। निदेश दिया गया कि Auto Surrender से संबंधित प्रमाण-पत्र विभाग को भेजना सुनिश्चित करें। साथ ही DDC को निदेश दिया गया कि अंकेक्षक के साथ समीक्षा कर UC समायोजन हेतु आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करें।

(अनुपालन:- उप विकास आयुक्त, जिला पंचायत राज पदाधिकारी एवं सभी प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी)

III. RGSA Capacity building & Training--

समीक्षा के क्रम में पाया गया कि अद्यतन स्थिति तक कुल 1612 लक्ष्य के विरुद्ध मात्र 513 प्रतिभागी द्वारा ही प्रशिक्षण प्राप्त किया गया है जिसमें से 362 लोगो का ही प्रमाण-पत्र निर्गत किया गया है। निदेश दिया गया कि इस संबंध में अपने स्तर से आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करें।

DPRO द्वारा बताया गया कि राशि के अभाव में DPRC का निर्माण कार्य अवरुद्ध हो गया है। निदेश दिया गया कि षष्ठम राज्य वित्त आयोग के General Grant के Fund से DPRC का निर्माण कराना सुनिश्चित करें।

(अनुपालन:- उप विकास आयुक्त, जिला पंचायत राज पदाधिकारी, सभी प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी एवं अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद)

IV. मुख्यमंत्री सहयोग कार्यक्रम--

समीक्षा के क्रम में पाया गया कि अद्यतन स्थिति तक कुल 633 प्राप्त मामलों के विरुद्ध 614 मामलों का ससमय निष्पादन हो चुका है तथा 09 मामले लंबित है। इस संबंध में DPRO एवं DDC को निदेश दिया गया कि इसकी नियमित समीक्षा कर मामलों के गुणवत्तापूर्ण निष्पादन हेतु आवश्यक कार्रवाई किया जाए। यदि योजना से संबंधित शिकायत प्राप्त होती है तो संबंधित योजना को GPDP में शामिल कर आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करें।

(अनुपालन:- उप विकास आयुक्त, जिला पंचायत राज पदाधिकारी एवं सभी प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी)

V. जन-शिकायत--

समीक्षा के क्रम में पाया गया कि अद्यतन स्थिति तक 07 मामलों के विरुद्ध 04 मामलों में प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। DPRO को निदेश दिया गया कि जन-शिकायत से संबंधित सभी मामलों का नियमित समीक्षा कर आवश्यक कार्रवाई करते हुए एक माह के अंदर निस्तारण करना सुनिश्चित किया जाए। साथ ही भ्रष्टाचार से संबंधित मामलो का गंभीरतापूर्वक जाँच कर विभाग को प्रतिवेदित करें।

(अनुपालन:- उप विकास आयुक्त, जिला पंचायत राज पदाधिकारी एवं सभी प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी)

VI. CPGRAM (Central level) की अद्यतन स्थिति--

समीक्षा के क्रम में पाया गया कि अद्यतन स्थिति तक मात्र 01 ही मामला लंबित है। निदेश दिया गया कि इसकी नियमित समीक्षा कर लंबित मामलों का त्वरित

निष्पादन करना सुनिश्चित करें। यह भी पाया गया कि CPGRAM (Central level) में कई माह से लॉग-इन नहीं किया गया है। निदेश दिया कि सप्ताह में एक बार लॉग-इन कर मामलो का निष्पादन करना सुनिश्चित करें।
(अनुपालन:- उप विकास आयुक्त, जिला पंचायत राज पदाधिकारी एवं सभी प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी)

VII. पंचायत विकास दिवस कार्यक्रम-

समीक्षा के क्रम में पाया गया कि जुन एवं जुलाई 2026 में क्रमशः कुल 08 एवं 05 Aspiration के विरुद्ध 08 एवं 05 का निष्पादन किया गया है। जुन एवं जुलाई माह में BPRO द्वारा क्रमशः कुल 38 एवं 24 आवेदनों का Mapping ही नहीं किया गया है। इस पर अप्रसन्नता व्यक्त की गयी तथा निदेश दिया गया कि दो दिनों के भीतर सभी आवेदनों का Mapping करना सुनिश्चित करें। साथ ही सभी Aspiration का निष्पादन ससमय किया जाए। सभी BPRO को Aspiration एवं Grievance में अंतर ज्ञात होना चाहिए तथा Aspiration के ससमय निष्पादन की जिम्मेवारी संबंधित BPRO की होगी।

(अनुपालन:- उप विकास आयुक्त, जिला पंचायत राज पदाधिकारी एवं सभी प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी)

VIII. पंचायत सरकार भवन की समीक्षा:-

(क) समीक्षा के क्रम में पाया गया कि जिले में कुल निर्मित 26 पंचायत सरकार भवन के विरुद्ध सभी 26 PSB का हस्तांतरण हो चुका है। इस पर प्रसन्नता व्यक्त की गयी।

निर्मित पंचायत सरकार भवनों में उपलब्ध मूलभूत सुविधाओं के समीक्षा के क्रम में पाया गया कि 26 संचालित पंचायत सरकार भवनों में 07 में बैंक, 26 में RTPS केन्द्र, 26 में विद्युत कनेक्शन, 16 में डाकघर, 04 में NOFN एवं 09 में पुस्तकालय का संचालन किया जा रहा है। इस पर चिंता व्यक्त की गयी। इस संबंध में जिला पंचायत राज पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि पंचायत सरकार भवनों में उपलब्ध सुविधाओं का अपने स्तर से नियमित समीक्षा करें तथा इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करें।

सभी BPRO को निदेश दिया गया कि निर्मित एवं निर्माणाधीन PSB के Longitude एवं Latitude Google Sheet पर अपडेट करें ताकि BSNL के कर्मी NOFN के अधिष्ठापन हेतु आवश्यक कार्रवाई कर सकें।

समीक्षा में यह भी पाया गया कि कुल 26 निर्मित पंचायत सरकार भवन के विरुद्ध 20 PSB का Electricity CA No की Google Sheet में Entry की गयी है। इस पर चिंता व्यक्त की गयी। यह संबंधित BPRO की व्यक्तिगत जिम्मेवारी है। अतएव BPRO को निदेश दिया गया कि सभी निर्मित PSB में 07 दिनों के भीतर Electricity CA No की Google Sheet में Entry करना सुनिश्चित करें।

(अनुपालन:- उप विकास आयुक्त, जिला पंचायत राज पदाधिकारी, सभी प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी)

लगातार.....

(ख) समीक्षा के क्रम में पाया गया कि ग्राम पंचायत (फेज-1) के माध्यम से निर्माण कराये जा रहे एक PSB का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। इस पर प्रसन्नता व्यक्त की गयी।

(ग) समीक्षा के क्रम में पाया गया कि कुल 11 पंचायतों में भूमि समस्याग्रस्त है, जिसमें से मात्र 01 का निराकरण हुआ है। खुटमा पश्चिम पंचायत में चिन्हित भूमि पर माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा Stay Order पारित है। श्रीकिशुन, अलीनगर, मदनपुर पंचायतों में समस्या का निराकरण हो चुका है परंतु वर्तमान में जल-जमाव के कारण निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं किया गया है। कबादपुर एवं अमहरा पंचायतों में चिन्हित स्थल पर 6-7 फीट गड्ढा है परंतु LAEO द्वारा अग्रेतर कार्रवाई नहीं किया जा रहा है। निदेश दिया गया कि जिन पंचायतों में चिन्हित भूमि पर न्यायालय में वाद दायर है, उन पंचायतों में वैकल्पिक भूमि का चयन किया जाए। यदि किसी पंचायत में भूमि अप्राप्त है तो भूमि अनुपलब्धता से संबंधित प्रमाण-पत्र जिला पदाधिकारी के माध्यम से विभाग को भेजना सुनिश्चित करें। कबादपुर एवं अमहरा पंचायतों में LAEO से समन्वय कर निर्माण कार्य प्रारंभ कराना सुनिश्चित करें।

(अनुपालन:- उप विकास आयुक्त, जिला पंचायत राज पदाधिकारी एवं सभी प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी)

(घ) ग्राम पंचायत के माध्यम से निर्माण कराये जा रहे 1069 पंचायत सरकार भवन की समीक्षा के क्रम में पाया गया कि कुल 15 स्वीकृत पंचायतों के विरुद्ध 13 पंचायतों में भूमि उपलब्ध है, जिसमें से TA द्वारा 11 का प्राक्कलन तैयार किया गया है। मात्र 04 पंचायतों में ही निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया है। निदेश दिया गया कि व्यय की स्वीकृति प्राप्त हो चुके पंचायतों में निर्माण कार्य अविलंब प्रारंभ करें। उल्लेखनीय है कि PSB का निर्माण कार्य BPRO की Sole Responsibility है।

(अनुपालन:- उप विकास आयुक्त, जिला पंचायत राज पदाधिकारी एवं सभी प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी)

IX. मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना-

समीक्षा के क्रम में पाया गया कि अद्यतन स्थिति तक 76 पंचायतों के विरुद्ध मात्र 22 पंचायतों में ही भूमि का चयन किया गया है, जिसमें से सभी 22 पंचायतों को राशि आवंटित की गयी है। तकनीकी सहायक द्वारा सभी 22 पंचायतों का प्राक्कलन तैयार किया गया है परंतु सभी पंचायतों का प्राक्कलन अभी भी LAEO के कार्यपालक अभियंता के पास लंबित है। निदेश दिया गया कि सभी BPRO कार्यपालक अभियंता से समन्वय कर आवश्यक कार्रवाई करते हुए सभी पंचायतों में व्यय की स्वीकृति प्राप्त कर अविलंब निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाए।

(अनुपालन:- उप विकास आयुक्त, जिला पंचायत राज पदाधिकारी एवं सभी प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी)

X. मुक्तिधाम, शवदाह-गृह, मृत्यु प्रमाण-पत्र की अद्यतन स्थिति:-

(क) समीक्षा के क्रम में पाया गया कि अबतक प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में कुल मात्र 91 मुक्तिधाम/शमशान चिन्हित किया गया है। सभी BPRO को

निदेश दिया गया कि एक सप्ताह में सरकारी भूमि में अवस्थित एवं पूर्व से संचालित शमशान/मुक्तिधाम का सर्वेक्षण कर संबंधित पोर्टल में विवरणी अपलोड किया जाए। पोर्टल में प्रविष्ट शमशान में ही विभागीय निदेश के आलोक में अधिसंरचना का निर्माण कराया जाएगा। पूर्व में सभी सर्वेक्षित शमशान के निर्माण की योजना GPDP में लेने का निदेश दिया गया है। ग्राम पंचायतों में शमशान/मुक्तिधाम के निर्माण हेतु राशि आवंटित की गयी है। विभागीय दिशा-निर्देश के आलोक में नियमानुसार निर्माण कराने का निदेश दिया गया।
(अनुपालन:- उप विकास आयुक्त, जिला पंचायत राज पदाधिकारी एवं सभी प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी)

(ख) समीक्षा के क्रम में पाया गया कि शमशान/मुक्तिधाम से संबंधित पूर्व से जिला परिषद में 01, पंचायत समिति में 01 एवं ग्राम पंचायत में 02 योजना संचालित है। निदेश दिया गया कि पूर्व में निर्गत विभागीय दिशा-निर्देश के आलोक में मानक प्राक्कलन तैयार कर योजना पूर्ण कराकर राशि व्यय करना सुनिश्चित करें।
(अनुपालन:- उप विकास आयुक्त, जिला पंचायत राज पदाधिकारी)

XI. 15वीं वित्त आयोग आयोग अंतर्गत ली गयी योजनाओं की अद्यतन प्रगति:-

(क) 15वीं वित्त आयोग की अनुशंसा से प्राप्त राशि का व्यय प्रतिशत निम्नवत है:-

15वीं वित्त आयोग		
क्र०सं०	त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं	व्यय प्रतिशत
01	जिला परिषद	07.60%
02	पंचायत समिति	66.28%
03	ग्राम पंचायत	67.05%

जिला परिषद एवं बड़हिया प्रखंड के पंचायत समिति द्वारा इस वित्तीय वर्ष में व्यय की गयी काफी कम है। ACEO, जिला परिषद द्वारा बताया गया कि अध्यक्ष द्वारा राशि के भुगतान करने में बाधा उत्पन्न किया जाता है।

(ख) पिछले 05 वर्षों में eGramSwaraj पोर्टल पर जिला परिषद में कुल 566 के विरुद्ध 43, पंचायत समिति में 715 के विरुद्ध 297 एवं ग्राम पंचायत में 4103 के विरुद्ध 1842 योजना ही पूर्ण की गयी है।

(ग) यह भी पाया गया है कि लखीसराय जिले के ग्राम पंचायतों में 22.15 करोड़ रुपये की Opening+Receipts के विरुद्ध 61.12 करोड़ रुपये की Total Liabilities है। इस पर अप्रसन्नता व्यक्त की गयी। प्रतीत होता है कि राशि अनुपलब्धता के उपरांत भी योजनाएं संचालित है।

उपरोक्त के आलोक में निम्नवत् निदेश दिये गये :-

- यदि जिला परिषद अध्यक्ष भुगतान करने में बाधा उत्पन्न करे तो DDC उनके विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई कर विभाग को प्रतिवेदित करें।

लगातार.....

2. विगत वर्षों से लंबित योजनाओं को भौतिक रूप से पूर्ण करते हुए ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर भी पूर्ण किया जाए।

3. सभी BPRO पंचायतवार गहन समीक्षा कर जिन योजनाओं में राशि उपलब्ध नहीं है, उन योजनाओं को Abandoned करें।

(अनुपालन:- उप विकास आयुक्त, जिला पंचायत राज पदाधिकारी)

XII. षष्ठम राज्य वित्त-ePanchayat Bihar Portal में ली गयी योजनाओं के व्यय की अद्यतन स्थिति:-

(क) षष्ठम राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा से प्राप्त राशि का व्यय प्रतिशत निम्नवत है:-

षष्ठम राज्य वित्त आयोग	
त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं	व्यय प्रतिशत
जिला परिषद	50.99%
पंचायत समिति	36.76%
ग्राम पंचायत	36.83%

हलसी एवं लखीसराय प्रखंड के पंचायत समिति द्वारा इस वित्तीय वर्ष में व्यय की गयी राशि काफी कम है। पृच्छा करने पर संबंधित BPRO द्वारा बताया गया कि राशि व्यय करने के उपरांत भी पोर्टल पर Show कर रहा है।

(ख) चानन एवं सूर्यगढ़ा प्रखंडों में 05-05, बड़हिया, हलसी एवं लखीसराय प्रखंडों में 02-02, रामगढ़ चौक प्रखंड में 01 पंचायत ऐसे है, जहाँ व्यय की गयी राशि शून्य है।

(ग) पिछले 05 वर्षों में पोर्टल पर जिला परिषद में कुल 304 के विरुद्ध 155, पंचायत समिति में 237 के विरुद्ध 29 एवं ग्राम पंचायत में 1286 के विरुद्ध मात्र 410 योजना ही पूर्ण की गयी है।

(घ) विभिन्न प्रखंडों एवं पंचायतों में कार्यरत विभिन्न वेंडरों में से एक ही वेंडर को 80-85% राशि का भुगतान किया गया है तथा एक ही वेंडर द्वारा कई प्रखंडों में सामग्री/सेवायें उपलब्ध करायी जा रही है।

उपरोक्त के आलोक में निम्नवत् निदेश दिये गये :-

1. DPRO हलसी एवं लखीसराय प्रखंड के पंचायत समिति की समीक्षा कर इस वित्तीय वर्ष में व्यय की गयी राशि की विस्तृत विवरणी विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे ताकि विभाग द्वारा इसकी समीक्षा कर समस्या का निदान किया जा सके।
2. BPRO निम्न व्यय वाले पंचायतों की समीक्षा कर संबंधित पंचायत सचिव के विरुद्ध कार्रवाई के लिए DPRO को प्रतिवेदित करें।
3. विगत वर्षों से लंबित योजनाओं को भौतिक रूप से पूर्ण करते हुए पोर्टल पर भी पूर्ण किया जाए।

4. सामग्री/सेवाओं के क्रय एवं आपूर्ति में वेंडर एवं पंचायत समिति/पंचायत के मिलीभगत की विस्तृत समीक्षा एवं जांच जिला स्तर पर की जाए।
(अनुपालन:- उप विकास आयुक्त एवं जिला पंचायत राज पदाधिकारी)

XIII. मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाईट योजना:-

(क) समीक्षा के क्रम में पाया गया कि चतुर्थ चरण में अद्यतन स्थिति तक जिले में सभी सोलर स्ट्रीट लाईट का अधिष्ठापन पूर्ण हो चुका है। इस पर प्रसन्नता व्यक्त की गयी।

(ख) चतुर्थ चरण में ग्राम पंचायतों द्वारा प्रावधानित 45% भुगतान के समीक्षा के क्रम में पाया गया कि पंचायतों में Bill Submit करने के उपरांत भी भुगतान किया गया प्रतिशत काफी कम है। बड़हिया, लखीसराय, रामगढ़ चौक प्रखंडों में शून्य राशि का भुगतान किया गया है। पृच्छा करने पर बड़हिया प्रखंड के BPRO द्वारा बताया गया कि उनके प्रखंड के कुछ ग्राम पंचायतों के मुखिया द्वारा भुगतान करने में बाधा उत्पन्न किया जाता है। DPRO को निदेश दिया गया कि यदि किसी ग्राम पंचायत के मुखिया द्वारा भुगतान करने में बाधा उत्पन्न किया जाए तो उनके विरुद्ध पंचायत राज अधिनियम के धारा- 18(5) के तहत कार्रवाई करते हुए वित्तीय शक्ति अवरुद्ध करना सुनिश्चित करें।

CMS App के माध्यम से प्राप्त शिकायत के समीक्षा के क्रम में पाया गया कि कुल 14 मामलों के विरुद्ध सभी 14 का निष्पादन हो चुका है। इस पर प्रसन्नता व्यक्त की गयी।

(अनुपालन:- उप विकास आयुक्त एवं जिला पंचायत राज पदाधिकारी)

(ग) दिनांक- 01.01.2026 से 16.09.2026 तक पंचायत सचिवों के द्वारा किये गये Inspection के समीक्षा के क्रम में पाया गया कि जिले में कुल 92% सोलर लाईट ON पाई गयी है, जिसमें से हलसी प्रखंड में ON पाई गई लाइटों का प्रतिशत कम है।

यह भी पाया गया कि कुल 07 प्रखंडों में से मात्र 04 प्रखंडों के BPRO द्वारा ही सोलर लाईट का निरीक्षण किया गया है।

उपरोक्त के आलोक में निम्नांकित निदेश दिये गये :-

1. यदि एजेंसी द्वारा विधिवत Bill Submit किया गया है तो सत्यापन एवं GISR पूर्ण कर अभियान चलाकर 15 दिनों के अंदर 100% भुगतान करना सुनिश्चित करें।

2. पंचायत सचिव के द्वारा हलसी प्रखंड के Inspection में OFF पाई गयी लाइटों के आलोक में आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करें।

शेष 03 प्रखंडों के BPRO को एक सप्ताह के अंदर सोलर लाईट का निरीक्षण कर प्रतिवेदन अपलोड करने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन:- उप विकास आयुक्त, जिला पंचायत राज पदाधिकारी एवं सभी प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी)

लगातार.....

XIV. समीक्षा के क्रम में पाया गया कि जिला स्तर पर पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायत कार्यालय का नियमित निरीक्षण नहीं किया जा रहा है। इस संबंध में विभागीय पत्रांक-9164 दिनांक- 17.08.2023 द्वारा निरीक्षण से संबंधित दिशा-निर्देश संसूचित है। निदेशित किया जाता है कि उक्त पत्र के आलोक में DDC, DPRO एवं सभी BPRO पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायत कार्यालय का नियमित निरीक्षण कर संबंधित प्रतिवेदन विभाग को भेजना सुनिश्चित करें।
(अनुपालन:- उप विकास आयुक्त, जिला पंचायत राज पदाधिकारी एवं सभी प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी)

XV. समीक्षा के क्रम में यह भी पाया गया कि पंचायती राज विभाग के जिला/पंचायत स्तर पर कार्यरत कर्मियों द्वारा नियमित रूप से बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज नहीं की जा रही है। उल्लेखनीय है कि इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना द्वारा विस्तृत रूप में दिशा-निर्देश संसूचित कर बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज करना अनिवार्य किया गया है। सभी DDC एवं DPRO को निदेश दिया गया कि बायोमेट्रिक उपस्थिति के आधार पर ही सभी कर्मियों का वेतन/मानदेय का भुगतान करना सुनिश्चित करें।

(अनुपालन:- उप विकास आयुक्त, जिला पंचायत राज पदाधिकारी, सभी प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी एवं अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद)

XVI. e- GRAM KACHAHARI :-

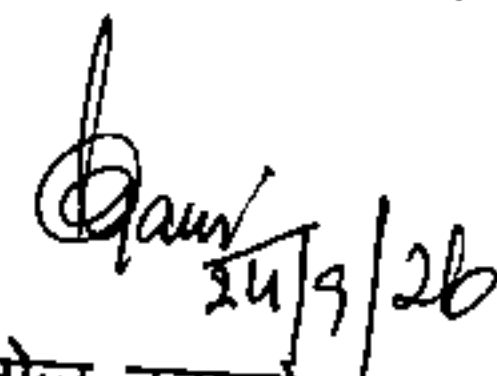
समीक्षा के क्रम में पाया गया कि प्रखंड स्तर पर प्रति ग्राम पंचायत पंजीकृत एवं निष्पादित मामलों की संख्या काफी कम है। इस पर असंतोष व्यक्त की गयी है। DPRO को निदेश दिया गया कि जिन पंचायतों में शून्य पंजीकृत एवं निष्पादित ग्राम कचहरियों की संख्या अधिक है, उन ग्राम कचहरियों के ग्राम कचहरी सचिव एवं न्यायमित्र पर नियमानुसार कार्रवाई करें।

(अनुपालन:- जिला पंचायत राज पदाधिकारी, अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी तथा प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी)

XVII. उल्लेखनीय है कि पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त एवं आधुनिक बनाने के उद्देश्य से बिहार के 2052 पंचायतों में Computer System उपलब्ध कराया गया है। लखीसराय जिले में भी 29 पंचायतों में ये सुविधा उपलब्ध करायी गयी है। निदेश दिया गया कि सभी Computer System की सही तरीके से जाँच कर Inspection Report यथाशीघ्र विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

(अनुपालन:- उप विकास आयुक्त एवं जिला पंचायत राज पदाधिकारी)

सचिव, पंचायती राज विभाग द्वारा उपस्थित पदाधिकारियों को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।


(मनोज कुमार)
सचिव

पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना

ज्ञापांक:—14प०/कार्यवाही-02-02/2026/13718/पं०रा० पटना, दिनांक 25/9/2026
प्रतिलिपि:—जिला पदाधिकारी, लखीसराय/मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद,
लखीसराय/जिला पंचायत राज पदाधिकारी, लखीसराय/अपर मुख्य कार्यपालक
पदाधिकारी-सह-अपर जिला पंचायत राज पदाधिकारी, लखीसराय को सूचना एवं आवश्यक
कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(अखिलेश कुमार सिंह)

विशेष कार्य पदाधिकारी

ज्ञापांक:—14प०/कार्यवाही-02-02/2026/13718/पं०रा० पटना, दिनांक 25/9/2026
प्रतिलिपि:—सचिव के प्रधान आप्त सचिव/विशेष सचिव/निदेशक के आशुलिपिक/अपर
सचिव के आशुलिपिक/सभी वरीय प्रभारी पदाधिकारी/सभी प्रभारी पदाधिकारी/सभी
प्रशाखा पदाधिकारी, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई
हेतु प्रेषित।

(अखिलेश कुमार सिंह)

विशेष कार्य पदाधिकारी

ज्ञापांक:—14प०/कार्यवाही-02-02/2026/13718/पं०रा० पटना, दिनांक 25/9/2026
प्रतिलिपि:—आई0टी0मैनेजर, पंचायती राज विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने
हेतु प्रेषित।

(अखिलेश कुमार सिंह)

विशेष कार्य पदाधिकारी

